नशीले पदार्थों की तस्करी

*314. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत छः महीनों के दौरान विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा गुजरात में और देश के अन्य भागों में जब्त किये गये नशीले पदार्थों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य-वार कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गए और उन पर मुकदमा चलाया गया; और

(ग) नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) गुजरात राज्य और देश के अन्य भागों में पिछले 6 महीनों के दौरान जब्त किए गए स्वापक औषध और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 171, अनुपत्र संख्या 42]

(ग) सभी प्रवर्त्तन एजेंसियों को यह अुनदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन०डी०पी०एस० एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अन्तर्गत प्रवर्त्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत-पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल तथा तट रक्षकों को सीमाशुल्क अधिनियम के तहत शक्ति प्रदान की गई है।

भारत सरकार को दिए जाने वाले ऋण पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकतम सीमा का लगाया जाना

*315. **श्री सोमपाल:**
श्री अनन्तराम जायसवाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, डॉ० सी० रंगराजन के 16 मई, 1994 को "इकोनोमिक टाइम्स" में दिए गए उस वक्तव्य से सहमत है जिसमें उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार को दिए जाने वाले कुल ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की बात कही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी अधिकतम सीमा के निर्धारण के लिए क्या आधारभूत मानदंड निर्धारित किया जाएगा; और

(ग) क्या इस अधिकतम सीमा का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए कोई वैधानिक व्यवस्था की जाएगी और इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग) जी, हां। वित्त मंत्री ने वर्ष 1994-95 के अपने बजट भाषण में यह उल्लेख किया था कि राजकोषीय अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार को तदर्थ राजकोषीय हुंडियां जारी करके भारतीय रिजर्व बैंक के असीमित आक्षय के माध्यम से धनराशि प्राप्त कर अपने घाटों को वित्त पोषित करने योग्य नहीं बनाया जाना चाहिए। इस पद्धति ने प्रभावी मैट्रिक नीति संचालित करने की भारतीय रिजर्व बैंक की क्षमता को भी कमजोर बना दिया है। सुधारात्मक उपाय के रूप में 3 वर्षों की अवधि तक तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के लिए सरकार की अभिगम्यता को चरणबद्ध करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1994-95 में भारतीय रिजर्व बैंक को तदर्थ निवल राजकोषीय हुंडियां जारी करके बजट घाटे और इसकी वित्त व्यवस्था को 6000 करोड़ रुपए तक सीमित किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ यह भी सहमति हुई है कि तदर्थ राजकोषीय हुंडियों का निवल निर्गमन वर्ष के दौरान किसी भी समय लगातार 10 से अधिक कार्यदिवसों के लिए 9000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। परवर्ती वर्षों में तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के आश्रय को प्रगामी रूप से कम किया जाएगा और वर्ष 1997-98 तक सरकार अपने घाटे के वित्तपोषण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का प्रत्यक्ष आश्रय लेना बंद कर देगी तथा इसे अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार से उधार लेकर करनी होगी।

उपरोक्त व्यवस्था करने के तौर-तरीकों पर विचार किया जा रहा है।